संख्याः 2–20/2015–ई0एक्स0 एन0–एच0–स्थापना–
राज्य कर एवं आबकारी विभाग
हिमाचल प्रदेश
दिनांकः शिमला–9 , 2022

कार्यालय आदेश

श्री कुलतार सिंह चौहान, आशुटंकक जोकि दिनांक 31.03.2022 को नियमित होने थे परन्तु उप–आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हमीरपुर के पत्र संख्या EXN-HMR-Estt-109 दिनांक 07.01.2021 के अनुसार श्री कुलतार सिंह चौहान, आशुटंकक का दिनांक 28.11.2020 से 27.11.2021 तक का अनुबन्ध कार्यकाल के दौरान कार्य निष्पादन और आचरण **"Un- Satisfactory"** दर्शाया गया था। इसके पश्चात इस कार्यालय के पत्र संख्या 2–45/2016-EXN-H-Estt- 3167 दिनांक 03.02.2022 द्वारा उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी हमीरपुर को श्री कुलतार सिंह चौहान, आशुटंकक के नियमतीकरण हेतु उनकी स्पष्ट रिर्पोट प्रेषित करने बारे लिखा गया था। जिसके संदर्भ में उप–आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हमीरपुर के पत्र संख्या EXN-HMR-Estt-2021-22-1656 दिनांक 10.03.2022 द्वारा दर्शाया गया कि अनुबन्ध पर नियुक्त उक्त कर्मचारी का कार्य निष्पादन और आचरण अच्छा नहीं है। उसके पश्चात श्री कुलतार सिंह चौहान आशुटंकक के आचरण के बारे में उच्च अधिकारी, संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, मध्य क्षेत्र, मंडी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 2–45/2016-EXN-H-Estt-8619 दिनांक 29.03.2022 द्वारा प्रकरण की विस्तार पूर्वक जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु कहा गया। संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, मध्य क्षेत्र, मंडी ने पत्र संख्या EXN-JCST&E-CZ-MND-Inquiry- 2875 दिनांक 10.11.2022 में अपनी विस्तारपूर्ण जांच करने के उपरान्त प्रस्तुत किया कि श्री कुलतार सिंह चौहान, आशुटंकक ने कई बार कार्यालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशो की अनुपालना में Insubordination दिखाई है। उपरोक्त जॉच रिर्पोट प्राप्त होने के पश्चात आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी शिमला ने श्री कुलतार सिंह चौहान, आशुटंकक को पत्र संख्या 2–45/2016-EXN-H-Estt- 36319 दिनांक 25.11.2022 द्वारा दिनांक 05.12.2022 को निज़ी सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु पत्र जारी किया था । सुनवाई के पश्चात श्री कुलतार सिंह चौहान, आशुटंकक के कार्य प्रदर्शन और आचरण को संतोषजनक माना परन्तु उनको भविष्य में वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा दिए गए आदेशों में Insubordination न दिखाने की पत्र संख्या 2–45/2016-EXN-H-Estt- 37408 दिनांक 07.12.2022 द्वारा warning जारी की गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पीईआर(एपी) सी–बी(2)–1/2014-V.II दिनांक 28 मार्च, 2022 की अनुपालना में विभागीय जांच समिति की संस्तुति के आधार पर समिति के सामने सारे तथ्य रखने के पश्चात समिति

द्वारा अनुबंध आधार पर कार्यरत श्री कुलतार सिंह चौहान, आशुटंकक को दिनांक 16.12.2022 को निम्नवर्णित नियम व शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित कार्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थिति सूचना प्रस्तुत करने की तिथि से वेतनमान Rs.21300-67800 के अंतर्गत न्यूनतम वेतन रू0 21300 /– व देय भत्ते पर नियमित किया जाता है तथा सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, भोरंज जिला हमीरपुर में तैनात किया जाता है :–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी का पता	कर्मचारी की जन्म तिथि	अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति की तिथि तथा पदनाम (आशुटंकक)
1.	श्री कुलतार सिंह चौहान, आशुटंकक	पुत्र श्री प्रताप सिंह, ग्राम व डा0 कोट, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0प्र0.	06.08.1981	28.11.2019

<u>नियम व शर्तेः–</u>

1. आशुटंकक के पद पर यह नियुक्ति दो वर्षो के लिए अस्थाई है।
2. कर्मचारी को सरकारी सेवा से एक माह के नोटिस पर बिना कोई कारण बताये पदच्युत किया जा सकता है। यह नोटिस सरकार तथा कर्मचारी किसी भी पक्ष द्वारा दिया जा सकता है। नियुक्ति करने वाले अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उसकी सेवाओं को एक मास का वेतन भत्तों के समान राशि देकर भी समाप्त कर सकता है।
3. कर्मचारी को दो वर्षो की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करनी होगी।
4. कर्मचारी को यह शपथ ग्रहण करनी होगी कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्पक्षता व ईमानदारी से करेंगे तथा भारतीय संविधान के प्रति सत्यनिष्ठ रहेंगे।
5. कर्मचारी की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्थान पर की जा सकती है।
6. कर्मचारी को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मूल रूप में उपस्थिति सूचना के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
7. कर्मचारी यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि यदि वह विवाहित है तो उसकी केवल एक ही पत्नी/पति है ।
8. कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा आधिकारी से अपनी स्वस्थता संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा तदोपरांत ही उनकी उपस्थिति ली जाएगी।
9. कर्मचारी की नियुक्ति संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके चरित्र एवं पूर्ववत् के सत्यापन पर निर्भर करेगी।
10. कर्मचारी किन्ही दो राजपत्रित अधिकारियों से जो उन्हें लगभग तीन वर्ष से जानते हों से अपने अच्छे चाल चलन का प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करेंगे।
11. यदि कर्मचारी आरक्षित वर्ग से सम्बध रखते हैं तो वह इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यदि उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव उम्मीदवार को स्वीकार्य हो तो उसे इस आदेश के जारी होने के पश्चात् 10 दिनों के भीतर–2 अपनी उपस्थिति सूचना इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी ।

(यूनुस) भा0प्र0से0
आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी
हिमाचल प्रदेश

38237-46

पृष्ठांकन संख्याः 2–20 / 2015–ई0एक्स0 एन0–एच0–स्थापना– 19-12- 2022

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पीईआर(एपी) सी–बी(2)–1 / 2014-V.II दिनांक 28 मार्च, 2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) हि0 प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), शिमला–03 को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर को कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 9.1 पर चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें।
5. जिला कोषाधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
7. उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हमीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
8. आई0टी0 शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि यह कार्यालय आदेश शीध्र विभागीय साईट पर अपलोड किया जाए।
9. व्यक्ति विशेष / निजी नस्ति / गार्ड फाईल ।

आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी
हिमाचल प्रदेश